यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, **गरूड़ बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, **गरूड़ बागेश्वर** के माह 05/2014 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.2017 से 09.06.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2014 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2014-15	3120000	3099833	119000	118960
2015-16	3095000	2827437	222000	209904
2016-17	3430000	3430000	496000	489794

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक जनजाति कल्याण (स्रोत्र बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, **गरूड़ बागेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गरूड़ बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2014 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया .... का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय .... के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 01 : केन्द्रपोषित योजना 'रूसा' के मूल्य उद्देश्यों को प्रभावित कर रू0 24.68 लाख का रखरखाव गलत ढंग से पाया जाना।

Guidelines:

Prerequisites- prerequisites would be at two levels; commitment given by the states to the entre and the commitment given by institutions to the states and centre. Unless these commitments are fulfilled the states and instructions will not be eligible to avail grants.

General norms- The state government shall acquire and have undisputed possession of land in cases where a new institution is proposed to be set up or existing one is proposed to be expanded. Any future legal disputes will also be handed by the state government and the centres shall not be a party to any such dispute.

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय गरूड़ (बागेश्वर) की लेखापरीक्षा में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत भवन निर्माण संबंधी पत्रपावली की जांच की गयी। जाच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम को मार्च 2016 में रू0 24.68 लाख की धनराशि महाविद्यालय के नये भवन निर्माण के लिए हस्तगत की गयी। शासकीय रिपोर्ट 2015–16 में पाया गया कि गरूड़ महाविद्यालय के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, फिर भी निर्माण एजेंसी को धनराशि जारी कर दी गयी तथा लेखापरीक्षा तिथि तक भूमि सुनिश्चित किया जाना नहीं पाया गया तथा एजेंसी द्वारा रू0 19.74 लाख की धनराशि प्रयुक्त बता दिया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि रूसा से संबंधित उच्चाधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था को तत्काल धनराशि अवमुक्त की गयी। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय को भूमि हस्तान्तरण नहीं हो पाने के कारण कार्यदायी संस्था को दी गयी धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, क्योंकि धनराशि का हस्तान्तरण महाविद्यालय द्वारा किया गया। अतः रूसा के दिशा–निर्देशों की कड़ाई से पालन करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की थी। जिसकी गलती के कारण गैर जिम्मेदारना ढंग से एजेंसी द्वारा धनराशि प्रयुक्त बता दिया गया तथा शासकीय धन का 14 माह से अनुचित ढंग से अवरोधन का प्रकरण पाया गया।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर-1- रू0 79836/– का क्रय वित्तीय नियमों का उल्लघंन कर किया जाना।

महाविद्यालय के बजट पत्रावली तथा मदवार आवंटन व्यय पंजिका की नमूना लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013–14 में रू0 39887/– फर्नीचर का क्रय एवं वर्ष 2016–17 में रू0 39949/– का कम्प्यूटर का क्रय मद सं. 26 मशीन साज–सज्जा से किया गया था जबकि उक्त क्रय हेतु क्रमशः मद से 12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व मद संख्या 46 कम्प्यूटर मौजूद थे। उक्त क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन भी प्रापत नहीं किया गया था। इस ओर इंगित किए जाने पर महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि महाविद्यालय/छात्रहित में क्रययस करना अति आवश्यक था। उत्तर सम्प्रेक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि व्यावर्तन (Diversiion) के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

अतः वित्तीय नियमों का उल्लघंन कर रू0 79836/– क्रय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : विभागीय उदासीनता के कारण शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं पाया जाना

राजकीय महाविद्यालय गरूड़ बागेश्वर की स्थापना वर्ष 2006 में की गयी है। शासनादेश संख्या 61/XXXIV (7)42 (1)/2009 दिनांक 26 मार्च 2010 व 124/61/XXXIV (7) 2014–11 घो./13 दिनांक 09.01.2014 द्वारा प्रवक्ता के कुल आठ पदों (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, इतिहास विषयों हेतु) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। महाविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि महाविद्यालय में स्थापना वर्ष 2006 से वर्तमान (ऑडिट तिथि) तक अंग्रेजी विषय में किसी भी प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। शैक्षिक सत्र 2010–11 से 2016–17 तक अंग्रेजी प्रवक्ता का पद रिक्त होने के बावजूद अंग्रेजी विषय में छात्रों को निरन्तर प्रवेश दिया जा रहा था। उक्त अवधि में अंग्रेजी विषय को चयन करने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षों के छात्रों की कुल संख्या का वर्षवार विवरण निम्नवत् था–

विषय–अंग्रेजी (शैक्षिक सत्रवार छात्रों की संख्या)

2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
03	18	22	17	17	54	30

विगत वर्षों में अंग्रेजी प्रवक्ता के पद का रिक्त रहना शिक्षा के प्रति विभाग की उदासीनता को दर्शाता है। रिक्त पद पर ाासन/विभाग द्वारा नियुक्त अथवा वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने के कारण उक्त विषय के कुल 161 विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय की विषयगत जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी तथा महाविद्यालय द्वारा उक्त विषय में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर पर बार–बार प्रवक्ता की नियुक्ति हेतु पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर सम्प्रेक्षा में मान्य हनीं था क्योंकि प्रवक्ता पद की रिक्त के कारण सम्बन्धित विषय में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए था अथवा इस सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था को जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 2 : धनराशि रू0 38,369 कॉशनमनी अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण।

कॉशनमनी एक प्रतिभूति धनराशि है, जिसे अचानक महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों से होने वाली पुस्तक इत्यादि हानि की क्षतिपूर्ति के लिए छात्रों से लिया जाता है। शिक्षण कार्य समापत हो जाने के पश्चात यह धनराशि छात्रों को लौटा दी जाती है।

राजकीय महाविद्यालय गरूड़, बागेश्वर के कॉशनमनी संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रू0 38369 अवरूद्ध पड़े हुए है। इस धनराशि को न ही छात्रों को वापस किया गया और न ही इसे व्यय करने हेतु निदेशालय से दिशा–निर्देश प्राप्त किए गए।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 03.04.2014 को भूमि हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव तैयार करने पर रू0 2500 एवं दिनांक 07.07.2017 को उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र हल्द्वानी को रू0 2000 का भुगतान किया गया। धन का इस प्रकार अन्य मदों में खर्च किया जाना नियमविरूद्ध है। इसे बारे में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर महाविद्यालया ने उत्तर दिया कि कॉशनमनी वापस लेने हेतु छात्रों ने आवेदन नहीं किया है, इसलिए अवरूद्ध पड़ी है। इसे व्यय करने के संबंध में निदेशालय से दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाएगा। चूंकि अन्य मदों में फंड उपलब्ध नहीं होने के कारण इस फंड से व्यय किया गया एवं फंड उपलब्ध होते ही सामायेाजन कर लिया जाएगा।

अतः कॉशनमनी रू0 38.369 को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
.....प्रथम लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गरूड़ बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) ----------

2. सतत् अनियमितताएं

(I) ----------

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गरूड़ बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.